भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2064

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति</u>

2064. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-कुसुम योजना के घटक-क और ग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) सौरकरण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ इसे अपनाने की दर कम है;

(ग) विशेष रूप से सौर जल पंपों को स्थापित करने में हुए विलम्ब के संबंध में, घटक-ख के कार्यान्वयन में चिह्नित की गई चुनौतियाँ क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने योजना के तहत किसानों की भागीदारी पर जागरुकता अभियानों, भुगतान विकल्पों और केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) घटक-क और ग को व्यापक कृषि विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए कृषि-फोटोवोल्टिक (एग्रो-पीवी) मॉडल और दोहरे उपयोग वाले ऊर्जा उत्पादन से कितना लाभ मिल सकता है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत मार्च, 2019 में की गई थी और कोविड-19 महामारी तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण इसे शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात् घटक-क और घटक-ग के अंतर्गत देरी मुख्यतः कम लागत वाले वित्त पोषण की अनुपलब्धता, बैंकों द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता, भूमि संबंधी अड़चनों आदि के कारण हुई।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रालय ने सक्रिय कदम उठाए हैं और जनवरी, 2024 में सरलीकृत एवं व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भूमि और अन्य तकनीकी अड़चनों को देखते हुए, सब-स्टेशन की पहचान, ऑनलाइन पोर्टल विकास, भूमि बैंक के निर्माण तथा भूमि पट्टा किराया के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।

इसके अतिरिक्त, घटक-क को सितम्बर, 2024 में एआईएफ के अंतर्गत शामिल कर अनुमोदित किया गया था, जिससे कम लागत वाले वित्त पोषण तक पहुंच बनाई जा सके।

(ग) घटक-ख के अंतर्गत मुख्य चुनौती राज्य द्वारा समय पर पर्याप्त भागीदारी की अनुपलब्धता रही है। कुछ राज्यों ने निविदा को पूरा करने में भी समय लिया है, जिससे स्थापना में देरी आई है।

(घ) मंत्रालय ने पीएम-कुसुम के अंतर्गत व्यापक जागरुकता कार्यक्रम और आईईसी गतिविधियाँ चलाई हैं। योजना का प्रभावपूर्ण मूल्यांकन तीसरे पक्षों द्वारा जारी है।

(ङ) वर्तमान में पीएम-कुसुम योजना का घटक-क, किसानों द्वारा उनकी भूमि पर विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों (जिसे एग्रीवोल्टाइकस के नाम से भी जाना जाता है) स्टिल्ट तरीके में स्थापना की अनुमति देता है। तीसरे पक्षों एवं केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई), जोधपुर द्वारा बनाए गए रिपोर्ट में यह पाया गया है कि एग्री पीवी में डुअल-यूज ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत संभाव्यता है।

*****